अनुप्रति योजना

❖ **योजना का उद्देश्य** :– राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ विशेष पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल एवं सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार के प्रतिभावान अभ्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाऐं जैसे आई.ए.एस., आर.ए.एस., आई.आई.टी., आई.आई.एम., सी.पी.एम.टी. एन.आई.टी. एवं राजकीय इंजीनियरिंग एवं मेडिकल आदि में चयन उपरान्त आर्थिक सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करना।

❖ **योजना में विभिन्न स्तरों पर देय प्रोत्साहन राशि का विवरण निम्नानुसार है:–**

(राशि रूपयों में)

क्र.सं.	विभिन्न स्तर	देय प्रोत्साहन	
		संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा हेतु	राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु
1	प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	65,000	25,000
2	मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	30,000	20,000
3	साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अन्तिम रूप से चयन) होने पर	5,000	5,000

❖ **प्रोफेशनल/तकनीकी पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानो (योजना में सूचीबद्ध संस्थाओं) जैसे आई.आई.टी, आई.आई.एम,, ए.आई.आई.एम, एन.आई.टी. एन.एल.यू, आदि प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय** प्रोत्साहन की राशि रूपये 40,000 से 50,000/– रूपये।

❖ **राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित राजकीय मेडिकल/ इंजीनियरींग कॉलेज आर.पी.एम. टी./आर.पी.ई.टी में सफल होने तथा राजकीय संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को देय** प्रोत्साहन राशि 10,000/– रूपये।

❖ **पात्रता :–**

vii. अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।

viii. अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विशेष पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग बी.पी.एल.(स्टेट बी.पी.एल. सहित)/सामान्य वर्ग बीपीएल (स्टेट बीपीएल सहित) परिवार का सदस्य हो।

IX. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुये यदि है तो) 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रूपये) से अधिक न हो।

X. अभ्यर्थी द्वारा प्रतियोगी परीक्षा का निर्धारित चरण उतीर्ण कर लिया गया हो।

XI. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य एंव अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा में पूर्व से राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं हो।

XII. अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले लिया हो।

❖ **ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ स्केन कर अपलोड किये जाने वाले स्वप्रमाणित दस्तावेजः-**

i. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति।

ii. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति।

iii. आय प्रमाण पत्र की प्रति। (आय प्रमाण पत्र अधिकतम 6 माह से अधिक पुराना नहीं हो।) यदि अभ्यर्थी के माता-पिता/अभिभावक राजकीय सेवा में कार्यरत है तो विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष द्वारी जारी किया गया आय प्रमाण पत्र की प्रति।

iv. सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग बीपीएल प्रमाणित करने के लिए निम्नांकित मे से कोई एक (अ) बीपीएल राशन कार्ड (ब) बीपीएल मेडिकल डायरी (स) ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी द्वारा जारी बीपीएल होने के प्रमाण पत्र की प्रति।

v. प्रतियोगी परीक्षा के विभिन्न चरणों में उत्तीर्ण होने पर परीक्षा में प्रवेश लेने का अनुमति पत्र (Permission Letter) व परिणाम की प्रति।

vi. अभ्यर्थी को भामाशाह कार्ड, आधार, पैन कार्ड एवं पासपोर्ट में से किसी एक दस्तावेज की प्रति।

vii. प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने शिक्षण संस्था में प्रवेश लेने पर शिक्षण संस्था का आई.डी. कार्ड एवं प्रथम सेमेसटर की फीस की प्रति।

viii. अभ्यर्थी को अपने स्वयं के बैक खाते का नाम, खाता नम्बर, बैक आईएफसी कोड, ब्रांच का नाम ऑन लाईन आवेदन में करना होगा।

❖ **ऑन लाईन आवेदन करने की प्रक्रिया :-**

I. Wwbsite: https://sjms.rajasthan.gov.in पर अभ्यर्थी द्वारा आवेदन ऑनलनाइन किया जायेगा।

II. ऑन लाइन आवेदन के साथ स्वप्रमाणित दस्तावेज अपलोड करने होगें।

III. ऑनलाइन स्वीकृति जारी कर ऑनलाइन भुगतान किया जायेगा।

IV. आवेदन पत्र की हार्डकॉपी व दस्तावेज जिला कार्यालय में जमा नहीं किये जावेंगें।

❖ **आवेदन करने की समय सीमा** : अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के उत्तीर्ण होने/शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने के 6 माह की अवधि में आवेदन पत्र संबंधित जिले (अभ्यर्थी का गृह जिला) के जिलाधिकारी को ऑनलाइन करना होगा।